## तहसील दिवस के आयोजन के संबंध में समीक्षा आख्या

दिनांक 07.12.2016 को मेरे द्वारा तहसील सदर (बलिया) में आयोजित तहसील दिवस में भाग लिया गया। शेष अन्य तहसीलों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित की गई ।

2.तहसील बलिया में आयोजित तहसील दिवस के दौरान प्रस्तुत उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करने पर सभी अधिकारी उपस्थित पाये गये और अनुपस्थित अधिकारियों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हेतु एक अलग से रजिस्टर बनाया गया, जिसमे उनके हस्ताक्षर प्राप्त किये जा रहे हैं । उपस्थिति पंजिका का रख–रखाव शासनादेश के निर्देशो के अनुरूप जिला स्तरीय व तहसील स्तरीय अधिकारियों के अलग–अलग बनाये गये है, जिसमें जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारियो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जा रहे हैं

**3.**तहसील दिवस के दौरान प्रस्तुत आवेदन पत्र पंजिका के अवलोकन से विगत तहसील दिवस से सम्बन्धित 11 सन्दर्भ निस्तारण हेतु अवशेष पाये जाने की स्थिति में जानकारी करने पर तहसीलदार सदर द्वारा बताया गया कि उक्त सन्दर्भों के सम्बन्ध में अभी तक जांच आख्या प्राप्त नही हुई है जिसके कारण निस्तारित नही किया गया है । यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है । उप जिलाधिकारी सदर को आदेशित किया गया कि वे **सम्बन्धित अधिकारी को 03 दिन के अन्दर निस्तारण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करें।**

.तहसील दिवस दिनांक 07.12.2016 में कुल 181 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिन्हे सम्बन्धित विभाग के अधिकारियो को पृष्ठांकित करते हुये मौके पर जांच कर निस्तारण आख्या उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध कराये गये । इनमें से 10 आवेदन पत्रों का निस्तारण तुरन्त मौके पर कराया गया । आवेदको द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्रों का पंजीकरण तहसील दिवस पंजिका व कम्प्यूटराइजेशन हेतु निर्धारित 10 अंको के कमांक में दर्ज कराया जा रहा है। संबधित प्रार्थना पत्रों में आवेदक या उसके सम्पर्क मोबाइल नं0 यथासम्भव अंकित कराये जा रहे हैं। आवेदको को प्राप्ति रसीद उपलब्ध न कराए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई। तहसील दिवस पंजिका अद्यावधिक है ।

4. तहसील दिवस मे प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र उसी दिन उसकी छाया प्रति तहसील में रखते हुए मूल प्रति संबधित विभाग के अधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्ति पंजिका में लेकर समयबद्ध अवधि में कार्यवाही करने हेतु उपलब्ध कराया जाना बताया गया। तहसील दिवस के आयोजन के बाद उसी दिन प्रारूप 5 व 6 पर सूचना भरने तथा प्रार्थना पत्रो को कम्प्यूटर में फीड कराने व बेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही तहसीलदार/उप जिलाधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। निस्तारण आख्याओं को भी ससमय इन्टरनेट पर अपलोड कराये जा रहे हैं। तहसील दिवस पर निरक्षर/अनपढ एवं विकलांग व्यक्तियों के आवेदन पत्र लिखने हेतु तहसील लिपिक की तैनाती की गयी थी, जिनके द्वारा निरक्षर/अनपढ एवं विकलांग आवेदको के आवेदन पत्र लिखने में अपेक्षित सहयोग किया जा रहा था ।

**5.**तहसील दिवस के प्रारम्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व के तहसील दिवसो में लम्बित संदर्भो एवं उनके लम्बित रहने के कारणों तथा प्रार्थना पत्रो के निस्तारण की गुणवत्ता की भी समीक्षा की गई । तहसील दिवस पंजिका में निस्तारित कतिपय प्रकरणों का दूसरे विभाग के अधिकारी को

शिकायतकर्त्ता से वार्ता कर निस्तारण की स्थिति की जानकारी हेतु निर्देशित किया गया और तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया कि क्रास चेकिंग मे यदि प्रतिकूल आख्या प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करे।

6. तहसील दिवस में भूमि विवाद एवं पट्टा/आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने सम्बन्धी शिकायतों के दृष्टिगत तहसीलदार/उप जिलाधिकारी को विगत वर्षो में किये गये पट्टे की भूमि पर पट्टेदार के कब्जा का निरीक्षण/सत्यापन अभियान चलाकर कराने तथा कब्जा प्राप्त न करने वाले पट्टेदार को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए । इसके अतिरिक्त भूमि विवाद एव भूमि पैमाइस की भी शिकायतो के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि भूमिधरी की पैमाइश के सम्बन्ध में धारा 41 भू–राजस्व अधिनियम के लम्बित प्रकरणो को अभियान चलाकर निस्तारण कराये । यह भी निर्देशित किया गया कि सभी आवेदन पत्रो को कम्प्यूटर में फीड करके ससमय आवश्यकतानुसार पुलिस बल के सहायोग से निस्तारण सुनिश्चित करायें और इसकी साप्ताहिक समीक्षा क्षेत्राधिकारी के साथ किया जाय।

7. इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत अनियमितता बरतने वाले कोटेदारो के विरुध्द प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में भी जिलापूर्ति अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर बलिया को विस्तृत जांच करके उनके शिकायत सही पाये जाने पर सम्बन्धित कोटेदार के विरूद्ध शासनादेश के अनुसार निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये तथा अंतिम निस्तारण की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए है।

सामान्यः

तहसील दिवस के दौरान प्रकाश में आयी स्थिति के अनुसार तहसील दिसव से सम्बन्धित सन्दर्भो के निस्तारण के प्रति अधिकारियों द्वारा अपेक्षित रुचि नही ली जा रही है, जिस हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश निर्गत किया जाना उचित है। प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस तदनुसार निर्देश पत्र निर्गत करायें।

(गोविन्द राजू एन0एस0)
जिलाधिकारी, बलिया

संख्या 610/आ0ले0जि0–तह0दिवस दिनांक दिसम्बर 13 ,2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1.आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,उ0प्र0,अनुभाग–12,लखनऊ
2.आयुक्त, आजमगढ मण्डल, आजमगढ।
3.पुलिस अधीक्षक, बलिया।
4.मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
5.मुख्य राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस।
6.अपर जिलाधिकारी (वि/रा),बलिया।
7.उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, बलिया।
8. DIO (NIC) को uploading)

(गोविन्द राजू एन0एस0 )
जिलाधिकारी बलिया